कार्यालय पुलिस उपायुक्त जोन काशी, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी

प्रेस-नोट

दिनांकः- 03.03.2025

विषयः- थाना सिगरा पुलिस द्वारा चोरी की स्कूटी के साथ अभियुक्त गिरफ्तार।

श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा चलाए जा रहे अपराध एवं अपराधियों/ प्रतिबंधित माँझा के विरुद्ध अभियान के तहत पुलिस उपायुक्त ज़ोन काशी महोदय के आदेश के क्रम में श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त ज़ोन काशी महोदय व श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त चेतगंज महोदय के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक थाना सिगरा कमिश्नरेट वाराणसी की टीम द्वारा अभियुक्त सोनू गुप्ता पुत्र ओम प्रकाश गुप्ता उर्फ गबडु कबाडी निवासी गोविन्दपुर पो0 लोहता थाना रोहनिया जनपद वाराणसी उम्र 33 वर्ष को बसुन्धरा नगर कालोनी थाना- सिगरा कमि0 वाराणसी से गिरफ्तार किया गया तथा संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरणः- प्रार्थी द्वारा लिखित तहरीर में बताया गया है कि मुझे दिनांक 23.02.2025 को सुबह 6:00 बजे की वंदे भारत ट्रेन से महाकुंभ 2025 स्नान के लिए प्रयागराज जाना था। स्टेशन पर वाहन पार्किंग की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। सुरक्षित पार्किंग के लिये इंग्लिशिया लाइन में गए, वहाँ हमें दो व्यक्ति मिले, उनमें से एक ने कहा कि वह हमें अपने भईया के घर पर गाडी पार्क करवा देगा ,इसके बाद उस व्यक्ति के कहने पर मैंने अपनी स्कूटी श्री संजय की दुकान (DeLUX Poultry Centre Wholesale Egg Dealer, नेहरु मार्केट, इंग्लिशिया लाईन) के ठीक सामने (दुकान के काउंटर के पास) श्री संजय की सहमति से और उनके मित्रों के सामने पार्क की और स्कूटी की चाबी श्री संजय को सौंप दी। संजय और उनके मित्र पप्पू सोनकर ने 500 रुपये मुझसे नगद लिये। वापसी में जब मैं श्री संजय को काल किया, तो उन्होंने बताया कि पप्पू सोनकर शाम 5:00 बजे आपकी स्कूटी लेकर चला गया। मैं हैरान रह गया और जैसे ही वाराणसी पहुँचा, तुरंत श्री संजय को काल किया और उनकी दुकान पर उनसे मिला। तुरंत मुझे एहसास हुआ कि इन लोगों ने हमारे साथ धोखाधड़ी की है और हमारी स्कूटी चोरी कर ली है। इस प्रकार घटनाक्रम के आधार पर तत्काल अभियोग पंजीकृत कर थाना सिगरा पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

विवरण पूछतांछ - अभियुक्त सोनू गुप्ता पुत्र ओम प्रकाश गुप्ता उर्फ गबडु कबाडी उपरोक्त पूछताछ पर बता रहे है कि साहब एक व्यक्ति और उसकी पत्नी दिनांक 23/02/25 को सुबह कुम्भ नहाने जा रहे थे तो मै उनकी स्कूटी संजय की दुकान पर यह कहते हुए खड़ा करा दिया था कि ये मेरे भैया और भाभी है ये लोग कुम्भ जा रहे है और उनके जाने के कुछ देर बाद मै आया और संजय से स्कूटी की चाबी लेकर स्कूटी चुरा कर भाग गया था।

सम्बन्धित अभियोग का विवरणः- मु0अ0सं0- 070/2025, धारा- 318(4), 303(2) बी0एन0एस0 व बढोत्तरी धारा 317(2) बीएनएस थाना सिगरा, कमि0 वाराणसी

अभियुक्तगण का विवरणः- सोनू गुप्ता पुत्र ओम प्रकाश गुप्ता उर्फ गबडु कबाडी निवासी गोविन्दपुर पो0 लोहता थाना रोहनिया जनपद वाराणसी उम्र 33 वर्ष।

गिरफ्तारी का स्थान व दिनांक- स्थान- बसुन्धरा नगर कालोनी थानाक्षेत्र सिगरा वाराणसी, दिनांक 02.03.2025

बरामदगी का विवरणः- एक अदद स्कूटी चोरी की रजिस्ट्रेशन नं0 UP 65 FA 0726, इंजन नं0 JK13ED7084231 व चेचिस नं0 ME4JK13CKPD059457

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0- 070/2025 धारा 318(4), 303(2) बी0एन0एस0 व बढोत्तरी धारा 317(2) बीएनएस थाना सिगरा, कमि0 वाराणसी।
2. मु0अ0सं0- 079/2018 धारा 429 भादवि व 3/5ए/8 गौ हत्या निवारण अधि0 थाना रोहनिया, कमि0 वाराणसी।

गिरफ्तार करने वाली टीम: -

1. श्री संजय कुमार मिश्र प्रभारी निरीक्षक थाना सिगरा कमिश्नरेट वाराणसी।
2. उ0नि0 प्रेमलाल सिंह, चौकी प्रभारी काशी विद्यापीठ, थाना सिगरा, कमि0 वाराणसी
3. का0 आजाद कुमार, थाना सिगरा कमिश्नरेट वाराणसी।
4. कां0 आशीष गिरि, थाना सिगरा कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त जोन-काशी
कमिश्नरेट वाराणसी